# ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट न0–1 सैक्टर नोलेज पार्क–4 ग्रेटर नौएडा सिटी
जिला–गौतमबुद्व नगर (उत्तर प्रदेश)

पत्रांक- प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-सीवर/2024/ 2478 दिनांक 02/02/2024

**निरीक्षण कार्यवृत्त**

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद संख्या 859/2022 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी) महोदय के निर्देशो के क्रम में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत हिण्डन नदी से मिलने वाले मुख्य नालों में प्रवाहित दूषित जल की रोकथाम के सम्बन्ध में बैठक आहूत की गई। बैठक में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी) महोदय के निर्देशों के अनुपालन में श्री अभीष्ट कुशुम गुप्ता सोशल एकटिविस्ट, क्षेत्रीय अधिकारी उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्रेटर नौएडा, वरिष्ठ प्रबन्धक–सीवर तथा वरिष्ठ प्रबन्धक–ड्रेन द्वारा संयुक्त रूप से ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत हिण्डन नदी से मिलने वाले 4 संख्यक मुख्य नालो का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसकी निरीक्षण आख्या तथा आवश्यक कार्यवाही का विवरण निम्नवत हैः–

1. **डासना नाला**

- छपरौला क्रॉसिंग पर पाया गया कि हापुड तथा गाजियाबाद के औद्योगिक तथा आवासीय क्षेत्र का अशुद्धीकृत प्रवाह आ रहा है। ड्रेन के प्रवाह सतह पर सॉलिड वेस्ट (सिल्ट, पॉलीथीन, प्लास्टिक बोतल तथा अन्य मोटा कचडा) पडा हुआ है। जिसकी तत्काल सफाई की जानी आवश्यक है तथा नाले के संरेखण में स्कीन स्थपित कर Floating पदार्थो को साफ किया जाना आवश्यक है। औद्योगिक/आवासीय अपशिष्ट को बिना उपचार किये ही नाले में प्रवाहित करने की रोकथाम हेतु गाजियाबाद/हापुड जिलाधिकारी महोदय को सूचित/ ससमय उचित कार्यवाही करने हेतु पत्राचार किया जाना आवश्यक है।

**कार्यवाही, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोड ग्रेटर नौएडा/ वरिष्ठ प्रबन्धक–ड्रेन**

- शाहबेरी के निकट क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिया पर पाया गया कि ABES कॉलेज गाजियाबाद के समान्तर स्थित नाला जो कि विजय नगर, डुडाहेडा से प्रवाहित हो कर आता है। उसमें 95 प्रतिशत प्रवाह गाजियाबाद के औद्योगिक/आवासीय क्षेत्र से उत्सर्जित अपशिष्ट का है, जो कि बिना शुद्धीकृत हुए नाले में प्रवाहित हो रहा है। नाले के प्रवाह सतह में शॉलिड वेस्ट (सिल्ट, पॉलीथीन, प्लास्टिक वेस्ट तथा अन्य मोटा कचडा) पडा हुआ है। जिसकी तत्काल सफाई की जानी अतिआवश्यक है तथा नाले के संरेखण में स्कीन स्थापित कर मोटे कचडे का प्रथक्करण किया जाना आवश्यक है। नाले में प्रवाहित अशुद्धीकृत औद्योगिक/आवासीय अपशिष्ट की रोकथाम हेतु जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद को सूचित/ससमय उचित कार्यवाही करने हेतु पत्राचार किया जाना आवश्यक है।

**कार्यवाही, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोड ग्रेटर नौएडा / वरिष्ठ प्रबन्धक–ड्रेन**

- गौर सिटी सेक्टर–4 के आरजा स्क्वायर शॉपिंग कॉम्पलेक्स के सामने निर्मित पुलिया के निकट पाया गया कि ABES कॉलेज गाजियाबाद के समान्तर से आने वाले नाले तथा क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के बिल्डरों एवं आवासीय क्षेत्र से प्रवाहित 95 प्रतिशत अशुद्धीकृत प्रवाह है। जिसकी रोकथाम हेतु रोकथाम हेतु जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद को सूचित/ससमय उचित कार्यवाही करने हेतु पत्राचर किया जाना आवश्यक है। शेष 5 प्रतिशत अशुद्धीकृत सीवेज जो कि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के सेक्टर 4 व 16सी में स्थित ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा चोरी छिपे प्रवाहित किया जा रहा है। जिसकी रोकथम हेतु ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जानी है।

**कार्यवाही, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोड ग्रेटर नौएडा / वरिष्ठ प्रबन्धक–ड्रेन/ वरिष्ठ प्रबन्धक–सीवर**

2. **सेक्टर–1 के निकट आर.सी.सी. नाला**

- सेक्टर के निकट राइज चौक के पास हिण्डन नदी से मिलने वाले आर.सी.सी. नाले के निरीक्षण में पाया गया कि 100 प्रतिशत प्रवाह ग्रेटर नौएडा क्षेत्र का है, जो कि ग्रेटर नौएडा वेस्ट क्षेत्र में एस.टी.पी. निर्मित न होने तथा बिल्डरों द्वारा चोरी छिपे अशुद्धीकृत सीवेज को नाले में प्रवाहित करने के कारण अशुद्धीकृत प्रवाह नाले में प्रवाहित हो रहा है। नाले के प्रवाह सतह में सॉलिड वेस्ट (पॉलीथीन, सिल्ट प्लास्टिक वेस्ट तथा अन्य मोटा कचडा) पडा हुआ है, जिसकी सफाई हेतु नाले के संरेखण में स्क्रीन स्थपित कर मोटे कचडे को प्रथक किया जाना तथा नाले के प्रवाह का इन्टरमीडिएड डावर्जन कर डी–सिल्टिंग चैम्बर निर्मित कर स्लज को प्रथक किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नाले में अशुद्धीकृत सीवेज की रोकथाम हेतु ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर–1 में एस.टी.पी. का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है तथा बिल्डरों द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रवाहित किये जा रहे अशोधित सीवेज की रोकथम हेतु कठोरतम कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

**कार्यवाही, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोड ग्रेटर नौएडा / वरिष्ठ प्रबन्धक–ड्रेन / वरिष्ठ प्रबन्धक–सीवर**

3. **सेक्टर बी.जेड.पी. में आई.टी.बी.पी. के पीछे का नाला**

- सेक्टर बी.जेड.पी. / लखनावली के निकट हिण्डन नदी से मिलने वाले नाले के निरीक्षण में पाया गया कि उक्त नाले में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के कियाशील 15 एम.एल.डी. एस.टी.पी. से उत्सर्जित शोधित सीवेज जल प्रवाहित हो रहा है तथा किसी प्रकार का अशुद्धीकृत प्रवाह प्रवाहित नही हो रहा है। उक्त नाले में वर्षा ऋतु में बारिश के पानी के साथ निकटवती ग्रामों का मोटा कचडा प्रवाहित होने की सम्भावना के दृष्टिगत स्क्रीन स्थापित करने तथा नाले के प्रवाह का इन्टरमीडिएड डावर्जन कर डी–सिल्टिंग चैम्बर का निर्माण किया जाना आवश्यक हैं।

**कार्यवाही, वरिष्ठ प्रबन्धक–ड्रेन / वरिष्ठ प्रबन्धक–सीवर**

4. **कोट स्कैप नाला (समायोजित हवालिया तथा लोहिया नाला)**

- ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम घरबरा के निकट हिण्डन नदी से मिलने वाले कोट स्कैप नाला जिसमें ग्रेटर नौएडा के 2 मुख्य नाले हवालिया नाला तथा लोहिया नाला समायोजित होते है। सूरजपुर वेट लैण्ड के निकट सूरजपुर दादरी रोड पर पाया गया कि हवालिया नाले में वेट लैण्ड से साफ पानी ओवर फ्लो हो कर प्रवाहित हो रहा है तथा UPSIDC के साईट बी व सी से उत्सर्जित 100 प्रतिशत औद्योगिक / आवासीय अशुद्धीकृत प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। UPSIDC के प्रवाहित अशुद्धीकृत औद्योगिक / आवसीय प्रवाह की रोकथाम हेतु UPSIDC ग्रेटर नौएडा को सूचित / ससमय आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्राचार किया जाना आवश्यक है।

**कार्यवाही, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोड ग्रेटर नौएडा / वरिष्ठ प्रबन्धक–ड्रेन**

- सेक्टर गामा–1 के गेट नम्बर–1 के निकट नाले के निरीक्षण में पाया गया कि नाले में प्रवाहित प्रवाह 95 प्रतिशत UPSIDC साईट बी व सी से आ रहा है तथा 4–5 प्रतिशत प्रवाह गामा–1,गामा–2,जीटा–1 से आ रहा है। UPSIDC के साईट बी व सी के अशुद्धीकृत प्रवाह की रोकथाम हेतु UPSIDC ग्रेटर नौएडा को सूचित / ससमय आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्राचार किया जाना आवश्यक है तथा गामा–1 के नाले में प्रवाहित सीवेज की रोकथाम हेतु वर्क सर्किल–सीवर स्तर से कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

**कार्यवाही, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोड ग्रेटर नौएडा / वरिष्ठ प्रबन्धक–ड्रेन / वरिष्ठ प्रबन्धक–सीवर**

- होण्डा चौक के निकट निरीक्षण में पाया गया कि हवालिया नाला जो कि नॉलेज पार्क से लोहिया नाला नाम से नामकृत है। उक्त नाले में UPSIDC साईट 4 का अशुद्धीकृत औद्योगिक प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। जिसकी रोकथाम हेतु UPSIDC द्वारा आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है, जिसके लिए सूचित / ससमय आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्राचार किया जाना आवश्यक है।

**कार्यवाही, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोड ग्रेटर नौएडा / वरिष्ठ प्रबन्धक—ड्रेन**

- बैक रेगुलेटर गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के निकट पाया गया कि कोट स्कैप नाले में UPSIDC साईट 5 से आने वाले मुख्य नालों में अशुद्धीकृत आवासीय/औद्योगिक प्रवाह तथा UPSIDC साईट बी, सी तथा साइट 4 के अशुद्धीकृत औद्योगिक/अवासीय प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। जो कि आगे चलकर हिण्डन नदी में मिलता है, नाले की सतह में ठोस अपशिष्ट (सिल्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पॉलीथीन तथा अन्य मोटा कचडा) मिला हुआ है। जिसके प्राथमिक उपचार हेतु नाले के संरेखण में स्कीन स्थापित करने तथा नाले के प्रवाह का इन्टरमीडिएड डावर्जन कर डी—सिल्टिंग चैम्बर का निर्माण किया जाना आवश्यक है जिससे कि Floating पदार्थो को प्रथक किया जा सके। नाले में प्रवाहित होने वाले अशुद्धीकृत औद्योगिक/आवासीय प्रवाह की रोकथाम हेतु UPSIDC द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी है। जिसके लिए सूचित/ससमय आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्राचार किया जाना आवश्यक है।

**कार्यवाही, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोड ग्रेटर नौएडा / वरिष्ठ प्रबन्धक—ड्रेन**

(जितेन्द्र गौतम)
महाप्रबन्धक—सीवर

**प्रतिलिपिः-**

1. स्टाफ ऑफिसर, को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर, को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी0) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
3. क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्पलैक्स, सैक्टर बीटा—2 ग्रेटर नौएडा, गौमतबुद्ध नगर (उ0 प्र0) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वरिष्ठ प्रबन्धक—ड्रेन/वरिष्ठ प्रबन्धक—सीवर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. गार्ड फाईल।

महाप्रबन्धक—सीवर